कार्यालय उप वन संरक्षक, बांसवाडा

क्रमांक प.(14) एफसीए/उवसं/2019/1839-45 दिनांकः- 26/3/19

निमित्त,

Associate Director (PHWR-P),
NPCIL, Nabhikiya Urja Bhavan,
Anushakti Nagar, Mumbai – 400094

विषय :– Mahi Banswara Atomic power project(MBRAPP)- 1to4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन बाबत।
सन्दर्भ :–आपका पत्रांक NPCIL/MBRAPP 1 to 4/Hq/2018/M/ दिनांक 02.07.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा जिला बांसवाड़ा में ग्राम बारी, आड़ीभीत, सजवानिया, रेल, कटुंबी, लालपुर एवं वांक में माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 1 से 4 की स्थापना हेतु 100.05 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक प.4(6) राज./2017/4023 दिनांक 20.12.2017 से ग्राम कालाखेत, तहसील छोटी सरवन के सर्वे नंबर 255 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 24.75 हेक्टेयर गैर वन भूमि आरक्षित की गई थी। इस संबंध में पुर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6951–53 दिनांक 20 अगस्त 2018 के द्वारा आपको अवगत कराया जा चुका है कि, उक्त गैर वनभूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा आपके प्रतिनिधि, राजस्व विभाग एवं वन मंडल के सर्वेयर के साथ मौका निरीक्षण करने पर पाया गया है कि वन विभाग हेतु आरक्षित की गई 24.75 हेक्टेयर गैर वन भूमि में विभिन्न स्थानों पर लगभग 20 से 25 खातेदार खेती कर रहे हैं एवं इनमें से 5 से 7 व्यक्तियों के मकान भी बने हुए हैं एवं अन्य अतिक्रमण भी है जिसके कारण उपरोक्तानुसार आरक्षित की गई भूमि वानिकी विकास एवं प्रबंधकीय दृष्टिकोण से वन विभाग हेतु उपयुक्त नहीं है।

इसके अलावा प्रकरण में जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के एक अन्य आदेश क्रमांक प.4(6) राज./2017/1349–54 दिनांक 03.04.2017 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक 1104 दिनांक 21.12.2018 से ग्राम भूराकुआ, तहसील सज्जनगढ़ के विभिन्न खसराओं में आरक्षित की गई क्रमशः 75.37 एवं 26.52 हेक्टेयर कुल 101.89 हेक्टेयर गैर वनभूमि के मौका निरीक्षण की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी डूंगरा के पत्र क्रमांक 225 दिनांक 8 मार्च 2019 (छाया–प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। तद्नुसार विभागीय ब्लॉक फाईल के नक्शे, सेटलमेंट होने से पूर्व के राजस्व नक्शे एवं वर्तमान सेटलमेंट होने के बाद

क्रमशः ..... 2 पर

के राजस्व नक्शों से मौके की जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि, सेटलमेंट विभाग के द्वारा वर्तमान सेटलमेंट की कार्यवाही में वन विभाग की भूमि के खसरों को नोटिफिकेशन लाईन के अनुसार राजस्व नक्शों में तरमीम नहीं किया जा कर इसके स्थान पर नए खसरे बना दिए गए हैं, जो कि मौके की वास्तविक स्थिति से अलग एवं विरोधाभासी है। इस प्रकार यह भूमि गैर वनभूमि नहीं है, बल्कि यह भूमि वास्तव में वनखंड भूराकुआ ईटाला पार्ट–बी की पूर्व से घोषित रक्षित वनभूमि है।

अतः कृपया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आपके स्तर से अन्यत्र कोई और उपयुक्त एवं विवाद रहित समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग हेतु शीघ्र आरक्षित करवाने की कार्यवाही करें। आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई वनभूमि का क्षेत्रीय वन अधिकारी से प्रस्ताव एवं मौके की स्थिति की जांच तथा वृक्षों की गणना हेतु मौका निरीक्षण करवाया जा रहा है। इस संबंध में इस कार्यालय के सर्वेयर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, बांसवाड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार आप द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित विवरण एवं मौके की स्थिति में विरोधाभास पाया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी से अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत विस्तृत विवरण से आप को पृथक से शीघ्र ही अवगत करा दिया जाएगा।

(सुगनाराम जाट)
उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा

क्रमांक प.(14) एफसीए / उवसं / 2019 /   दिनांक:–

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, डूंगरा को उनके पत्र क्रमांक 225 दिनांक 8 मार्च 2019 के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार आपके स्तर से संबंधित उपखंड न्यायालय में वाद दायर कर राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार करवाए जाने की कार्यवाही करवा कर की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. सर्वेयर, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार करवाए जाने के संबंध में आपके स्तर से अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही समय पर किए जाने हेतु पाबंद होवें।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि आपको पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार आपके स्तर से वांछित रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें।

उप वन संरक्षक,
बांसवाड़ा